संख्या– 1934 / 1–10–2008–12(54) / 2008

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊः दिनांकः 03 अप्रैल, 2008

विषय :: **दिनांक 12.03.2007 को हुई ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशा0पत्र संख्या –480 / सी0आर0ए0–2008 दिनांक 29 मार्च, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 12.03.2007 को हुई ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु रु0 1,25,41,745 / – (रुपया एक करोड़ पचीस लाख इक्तालिस हजार सात सौ पैतालिस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3. जनपद में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें तत्समय प्रचलित कृषि निवेश अनुदान की निम्नांकित दरों से वितरण कराया जायेगाः–

लघु एवं सीमान्त कृषकों को (कृषि, औद्योगिक तथा वार्षिक फसलों हेतु)	असिंचित क्षेत्र के लिए रु0 1000 / – प्रति हे0 सिंचित क्षेत्र के लिए रु0 2500 / – प्रति हे0
लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान।	रु0 1000 / – प्रति हे0 की दर से अधिकतम 2 हे0 तक प्रति कृषक।
रेशम कृषकों को	रु0 2000 / – प्रति हे0 मूंगा के लिए रु0 1500 / – प्रति हे0 ऐरी और मलबेरी के लिए।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि दिनांक 12.03.2007 को हुई ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के निमित्त ही व्यय की जायेगी। शासनादेश संख्या–4815/1–10–2007–14(45)/2003, दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रु0 1000/– से कम धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रु0 1000/– या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाय।

5. कृषि निवेश अनुदान का वितरण गॉव में विशेष कैम्प लगाकर किया जाय। कैम्प का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय ताकि कृषक लाभार्थी पूरी संख्या में कैम्प में उपस्थित हो सकें। कृषि निवेश अनुदान सम्बन्धी चेक का वितरण पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जाय कि राहत वितरण के कार्यक्रमों में यथा संभव जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री भी सुविधानुसार शामिल हो सकें। धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्रामसभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

6. जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम के कैम्प के लिए एक पर्यवेक्षीय अधिकारी (भू–लेख निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी आदि) की तैनाती करने के साथ–साथ राहत वितरण कार्य पर आकस्मिक निरीक्षण द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण रखने हेतु जनपद या तहसील स्तरीय अधिकारी भी तैनाती करेंगे, जो अपनी संक्षिप्त आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी उक्त आख्या की प्रति, अपनी संस्तुति तथा वितरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को 30 दिन में उपलब्ध करायेगे। आपदा राहत निधि से स्वीकृत/आहरित धनराशि के समक्ष अवशेष धनराशि विलम्बतम् दिनांक 05 मई, 2008 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाय एवं व्यय धनराशि मदवार पूर्ण विवरण शासनादेश संख्या 1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड –5 भाग –1 के प्रस्तर –369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या –42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

11. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समयबद्ध एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या– 1933(1)/1–10–2008–12(54)/2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकार, गौतमबुद्धनगर।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक), अनुभाग –5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राजस्व अनुभाग –11
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव